न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 216/2022

अनवान मुकदमा -

1. बलवीर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख साकिन ग्राम खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. जगराज सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख साकिन ग्राम खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. गुरचरण सिंह पुत्र माड़ा सिंह जाति जटसिख साकिन ग्राम खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सिमरनदीप कौर पुत्री गुरचरण सिंह पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख साकिन ग्राम खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

- - प्रतिवादीगण

-:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा ::-

-:: उपस्थित अभिभाषक ::-

1. संजय कुमार चाण्डक -- वादीगण 1 ता 3
2. अशोक कुमार -- प्रतिवादीगण सं. 1

-:: निर्णय :-

दिनांक - 03/06/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वाद पत्र पर सीगेदार की रिपोर्ट ली जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किए जाने के आदेश हुए हैं। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के दादा माड़ा सिंह पुत्र श्री केहर सिंह जाति जटसिख के नाम से चक 14 एल.जी.डब्ल्यू. के प.नं. 2/292(34) के कि.नं. 1, 2, 9, 10, 11/1, 12, 19, 22/1, 22/2 में 1.948 हैक्टेयर एवं प.नं. 2/293 (35) के कि.नं. 2/1, 9/1, 12/1 की 0.018 हैक्टेयर कुल खाता 1.9660 हैक्टेयर तथा चक 15 एल.जी. डब्ल्यू.-बी के प.नं. 4/297 (22) के कि.नं. 9, 12, 15, 19 की कुल 1.012 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत् 2063-2065 वाद पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है, जि[illegible] प्रमाणित होता है कि उक्त कृषि भूमि वादीगण की पैत्रिक कृषि [illegible]

वादीगण के दादा श्री माड़ा सिंह पुत्र श्री केहर [illegible] की मृत्यु के उपरान्त उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 [illegible]चरण सिंह पुत्र माड़ा सिं[illegible] नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित हुई जो आज भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज चली आ रही है। प्रमाणित नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:17 IST
Reason: SelfAttested

03.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 गुरचरण सिंह पुत्र माड़ा सिंह के कुल 3 वारिस है जिनमें दो लड़के वादीगण एवं 1 लड़की प्रतिवादी संख्या 2 है। इस प्रकार उक्त समस्त पैत्रिक कृषि भूमि वादीगण प्रत्येक का 1/4-1/4 हक व हिस्सा कानूनन बनता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादीगण की बहिन है ने स्वेच्छा से दोनों चकों में स्थित समस्त पैत्रिक कृषि भूमि में अपने निहित 1/4 हक व हिस्सा की भूमि को अपने पिता व अपने दानों भाईयों के पक्ष में समान रूप से परित्याग कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 2 उक्त दोनों चकों में स्थित कृषि भूमि में भविष्य में कभी भी अपने हक व हिस्सा की भूमि को प्राप्त करने की इच्छुक नहीं होगी। इस कारण अब वर्तमान में दोनों चकों में स्थित कृषि में केवल मात्र वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का ही हक व हिस्सा की भूमि रहती है अर्थात प्रत्येक का 1/3-1/3 हक व हिस्सा भूमि बनती है।

वादीगण उक्त पैत्रिक भूमि में अपने पिता के नाम से चक 14 एल.जी.डब्ल्यू. के प.नं. 2/292(34) के कि.नं. 1, 2, 9, 10, 11/1/0.177, 12, 19, 22/1/0.228, 22/2/0.025 की कुल 1.948 हैक्टेयर एवं प.नं. 2/293 के कि.नं. 2/1/0.006, 9/1/0.006, 12/1/0.006 की 0.018 हैक्टेयर इस प्रकार से दोनों चकों की कुल 1.9660 हैक्टेयर नहरी मय गै.मु. रास्ता कृषि भूमि को वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अपने पिता गुरचरण सिंह पुत्र माड़ा सिंह का नाम कलमजन कर उक्त कृषि भूमि वादीगण प्रत्येक के नाम से 1/2-1/2 व.हि.ब. दर्ज किए जाने की घोषणा स्वीकार किए जाने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है तथा चक 15 एल.जी.डब्ल्यू.-बी में प.नं. 4/297 की 1.012 हैक्टेयर भूमि पूर्ववत् प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही दर्ज रखी जाये।

दिनांक 1.6.2022 को प्रतिवादीगण की तरफ से अभिभाषक श्री अशोक कुमार उपस्थित हुए। उभय पक्ष के वकीलों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और निवेदन किया कि दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरामाया जाकर प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार कर डिक्री फरमाया जाये। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिए अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:17 IST
Reason: SelfAttested

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी को कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

03.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

-:: आदेश ::-

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि में से चक 14 एल.जी.डब्ल्यू.-बी के प.नं. 2/292 (34) के कि.नं. 1, 2, 9, 10, 11/1/0.177, 12, 19, 22/1/0.228, 22/2/0.025 एवं प.नं. 2/293 (35) के कि.नं. 2/1/0.006, 9/1/0.006, 12/1/0.006 की 0.018 हैक्टेयर इस प्रकार से दोनों चकों की कुल 1.9660 हैक्टेयर नहरी मय गु.मु. रास्ता कृषि भूमि का वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

03.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्में इब्तदाइ
(आ0-20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 216/2022

अनवान मुकदमा -

1. बलवीर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख साकिन ग्राम खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. जगराज सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख साकिन ग्राम खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. गुरचरण सिंह पुत्र माड़ा सिंह जाति जटसिख साकिन ग्राम खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सिमरनदीप कौर पुत्री गुरचरण सिंह पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख साकिन ग्राम खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

- - प्रतिवादीगण

-:: निर्णय ::-

दिनांक -03/06/2022

वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाकर डिक्री जारी की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 14 एल.जी.डब्ल्यू.-बी के प.नं. 2/292 (34) के कि.नं. 1, 2, 9, 10, 11/1/0.177, 12, 19, 22/1/0.228, 22/2/0.025 की कुल 1.948 हैक्टेयर एवं प.नं. 2/293 (35) के कि.नं. 2/1/0.006, 9/1/0.006, 12/1/0.006 की 0.018 हैक्टेयर इस प्रकार से दोनों चकों की कुल 1.966 हैक्टेयर नहरी मय गु.मु. रास्ता कृषि भूमि का वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थंगन नही हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 03/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:17 IST
Reason: SelfAttested

03.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा